भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2961

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अधिकतम उपज का निर्धारण

2961. श्री दुरई वाइको:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 7 वर्षों के सर्वोत्तम 5 वर्षों की औसत उपज की गणना करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अधिकतम उपज का निर्धारित करने का वर्तमान ढांचा किसानों को पात्र दावों से वंचित करता है क्योंकि अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अधिकतम उपज कम हो जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार औसत उपज की गणना पिछले 7 वर्षों में सर्वोत्तम 5 वर्षों के बजाय सर्वोत्तम 3 वर्षों की उपज के आधार पर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार प्रत्येक किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत व्यक्तिगत आधार पर बीमा दावे हेतु फसल हानि का आकलन करने पर विचार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): फसल बीमा योजनाओं में समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। 2022 में पीएमएफबीवाई के तहत वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन तंत्र की जांच करने के लिए कार्य समूह ने इस मामले की जांच की है और थ्रेसहोल्ड उपज की गणना के लिए मौजूदा तंत्र को जारी रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा, पीएमएफबीवाई के तहत थ्रेसहोल्ड उपज की गणना के प्रावधान में संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(घ) एवं (ङ): पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे कि कृषि जोत का छोटा आकार, फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर पिछले उपज के आंकड़ों की अनुपलब्धता और दावा राशि का आकलन करने के लिए उपज जानने हेतु अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों को करने की राज्य सरकार की क्षमता आदि।

हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के संबंध में दावे प्रदान करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर गणना की जाती है। सरकार के पास व्यक्तिगत खेत के आधार पर पूरी योजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******